संख्या-19 /2026/439/001-439-23-10-2026-E-2041139

प्रेषक,

अभय प्रताप श्रीवास्तव,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उ0प्र0 लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-10 **लखनऊः दिनांकः 27 अप्रैल, 2026**

विषयः- वित्तीय वर्ष 2026-27 में अनुदान सं0-57 राजस्व लेखा के अंतर्गत अनुरक्षण कार्यों हेतु स्वीकृत धनराशि को प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग के निवर्तन पर रखे जाने के संबंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0-I/547200/2026, दिनांक 13.04.2026 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2026-27 में अनुदान सं0-57 राजस्व लेखा के अंतर्गत अनुरक्षण कार्यों हेतु धनराशि प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग के निवर्तन पर रखे जाने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2026-2027 में अनुदान सं0-57, राजस्व मद के अंतर्गत नावों के पुल और नौघाट के अनुरक्षण हेतु रू0 75.00 करोड़ एवं पुलों का अनुरक्षण और मरम्मत हेतु रू0 145.00 करोड़ अर्थात कुल धनराशि रू0 220.00 करोड़ (रूपये दो अरब बीस करोड़ मात्र) को निम्न विवरणानुसार/शर्तों के अधीन व्यय करने हेतु प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष लो0नि0वि0 लखनऊ के निर्वतन पर रखे जाने की एतद्द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

(धनराशि रू0 करोड़ में)

क्र0	योजना का नाम/15 अंकीय बजट कोड	बजट प्राविधान	अनुरक्षण कार्यों हेतु वर्ष 2026-27 में प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष लो0नि0वि0 लखनऊ के निर्वतन पर रखी जाने वाली धनराशि
1	2	3	4
1-	3054-सड़क तथा सेतु 04-जिला तथा अन्य सड़के 800-अन्य व्यय 03-नावों के पुल और नौघाट 29- अनुरक्षण	75.00	75.00
2-	3054-सड़क तथा सेतु 04-जिला तथा अन्य सड़के 800-अन्य व्यय 04-पुलों का अनुरक्षण और मरम्मत 29- अनुरक्षण	145.00	145.00
	योगः - (राजस्व लेखा मद)	**220.00**	**220.00**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

नियम व शर्तें/प्रतिबन्धों

(1) प्रश्नगत धनराशि को प्रमुख अभियंता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष लो0नि0वि0 द्वारा एकमुश्त न आहरित कर कार्य की आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय किया जायेगा तथा आहरित धनराशि बैंक/ डाकघर/डिपाजिट खाते में न रखी जाये।

(2) प्रश्नगत धनराशि के सापेक्ष आवश्यक अग्रेतर कार्यवाही हेतु बजट मैनुअल एवं वित्तीय हस्तपुस्तिका के सम्बन्धित नियमों, स्थायी आदेशों, कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026-बी-1-812/दस-2026-231/2026 दिनॉक 28 मार्च, 2026 में उल्लिखित समस्त शर्तों/अनुबंधों का अनिवार्य रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(3) उक्त शासनादेश दिनांक 28.03.2026 के प्रस्तर-3 में उल्लिखित निम्न व्यवस्था का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा:-

‘‘ धनराशि का विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी के निवर्तन पर रखे जाने से मात्र से किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अंतर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम अधिकारी की स्वीकृतिए विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी द्वारा प्राप्त की जानी आवश्यक होए उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय। श

(4) निवर्तन मद के अंतर्गत बजट व्यवस्था के अनुसार रू0 40प00 लाख से कम लागत के कार्यों की स्वीकृति से पूर्व संबंधित कार्यों की कार्ययोजना पर प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।

(5) केवल स्वीकृत योजनाओं/मदों पर व्यय किया जायेगा। किसी भी दशा में इस धनराशि का उपयोग अन्य मदों के कार्यान्वयन में नहीं किया जायेगा। निवर्तन पर रखी गयी धनराशि में से व्यय की गयी का धनराशि का मदवार विवरण सहित कृत कार्यवाही से शासन को समय-समय पर अवगत कराया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय (1) रुपये 75,00,00,000 (रुपये पचहत्तर करोड़ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 057 लेखा शीर्षक 3054048000300 नावों के पुल और नौघाट मानक मद 29 अनुरक्षण (2) रुपये 1,45,00,00,000 (रुपये एक अरब पैंतालीस करोड़ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 057 लेखा शीर्षक 3054048000400 पुलों का अनुरक्षण और मरम्मत मानक मद 29 अनुरक्षण के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक-28-मार्च, 2026 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(अभय प्रताप श्रीवास्तव)
उप सचिव।

क्रमशः...............

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या-19 /2026/ 439(1)/001-439-23-10-2026-E-2041139, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि संलग्नक सहित निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1-महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम एवं द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज ।

2-मुख्य अभियंता (सेतु)ए लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ ।

3-वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ ।

4-वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8 ।

5-वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 एवं 2 ।

6-नियोजन अनुभाग-4 ।

7-लोक निर्माण अनुभाग-1 एवं 6 ।

8-गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,

(अभय प्रताप श्रीवास्तव)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।